न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 60–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 255/अपील/1997–98.

1. प्रसान्त कुमार तनय सुदर्शन प्रसाद शुक्ल
2. श्रीमती शशी देवी बेवा पत्नी उमेश कुमार शुक्ल
3. दुर्गेश कुमार पिता उमेश कुमार शुक्ल
4. अरूणेश कुमार पिता उमेश कुमार शुक्ल
5. सुरेश कुमार मृत वारिस
   1)श्रीमती शकुन्तला पत्नी सुरेश कुमार शुक्ल
   2)गरिमा शुक्ल पुत्री सुरेश कुमार शुक्ल
   3)गौरव कुमार तनय सुरेश कुमार शुक्ल
   4) शौरभ कुमार तनय सुरेश कुमार शुक्ल
6. अखिलेश कुमार शुक्ल तनय नारायण प्रसाद शुक्ल
7. कमलेश कुमार शुक्ल तनय नारायण प्रसाद शुक्ल
8. सुतिक्षण कुमार शुक्ल मृत वारिस
   1)श्रीमती नीतू शुक्ल पत्नी सुतिक्षण प्रसाद शुक्ल
   2)कु. रूपाली शुक्ल पुत्री सुतिक्षण प्रसाद शुक्ल
   3)देवेश कुमार शुक्ल पुत्र सुतिक्षण प्रसाद शुक्ल
   4)कु0 सुभी शुक्ला पुत्री सुतिक्षण प्रसाद शुक्ल उम्र 14 वर्ष नबालिग जरिये बली मां श्रीमती नीतू शुक्ला
9. शशिभूषण शुक्ल पिता बनारसी प्रसाद शुक्ल
10. बृभभूषण शुक्ल पिता बनारसी प्रसाद शुक्ल
11. चन्द्रभूषण शुक्ल पिता बनारसी प्रसाद शुक्ल
12. श्रीमती विनोदवती शुक्ला पत्नी स्व0 बनारसी प्रसाद शुक्ल
13. राजेन्द्र कुमार शुक्ल तनय काशी प्रसाद शुक्ल

14.सुशील कुमार शुक्ल तनय काशी प्रसाद शुक्ल
15.रामविलास शुक्ल तनय काशी प्रसाद शुक्ल
सभी निवासी ग्राम सोनारूपा तहसील मनगवां
जिला रीवा म0प्र0 ———आवेदकगण

विरूद्ध

सुरेन्द्र कुमार शुक्ल
निवासी ग्राम सोनारूपा तहसील मनगवां
जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री मोरध्वज सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अरूण गोतम, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 12 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 255/अपील/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 16–12–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार रायपुर कर्चु0 के समक्ष ग्राम सोनारूपा पटवारी हल्का देवगांव राजस्व निरीक्षक मण्डल डेल्ही तत्कालीन तहसील रायपुर कर्चु0 में भूमि किता 94 रकवा 92.42 एकड़ के संबंध में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत खाता बटवारा का आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने

प्रकरण कमांक 15/अ–27/95–96 में पारित आदेश दिनांक 30–8–96 के द्वारा खाता विभाजन स्वीकार किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3–12–97 के द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 16–12–2013 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये और प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष की सुनवाई नियमानुसार कर संहित की धारा 178 के प्रावधान के आधार पर नियमानुसार आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष अनावेदक को पक्षकार बनाकर धारा 178 का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसपर अनावेदक को दो बार सूचना जारी किये जाने पर उपस्थित न होने पर जरिये चस्पीदगी से सूचना जारी हुई। अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का देवगांव से मौके के अनुसार फर्द बटवारा पुल्ली बनाई गई जिनको साक्षीयों से प्रमाणित किया तथा कोई विवाद न होने से तहसीलदार द्वारा खाता विभाजन स्वीकार किया गया, उक्त बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उचित ठहराया गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 2011 में हुये संशोधन अनुसार धारा 49 मे यह इंगित किया गया है कि कोई अपीलीय प्राधिकारी किसी

मामले में किसी अपीलीय आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा, परन्तु उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। आवेदक अभिभाषक यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा कुल किता 94 सर्वे नम्बरों का अविवादित बटवारा निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये है, पूर्व की स्थिति कायम करने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में कई पक्षकारों का स्वर्गवास भी हो गया है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसील न्यायालय के अभिलेख से सिद्ध होता है कि तहसील न्यायालय में बटवारा प्रकरणमें अनावेदक को व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की गई और न ही उसे सूचना तामील की गई। उनका यह भी तर्क है कि सम्मन की तामील फर्जी ढंग से की गई है उक्त सम्मन पर अनावेदक के जो हस्ताक्षर बने है वह फर्जी हैं। अनावेदक ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक कमांक 13 राजेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 115ए/2010 प्रस्तुत किया, जिसमें अनावेदक द्वारा धनन्जय कुमार शुक्ल, उग्रसेन तिवारी, शिवलाल यादव, जमुना कोल के शपथपत्र प्रस्तुत किये जिसमें सम्मन पर अनावेदक के फर्जी हस्ताक्षर होना माना है और अष्टम व्यवहार न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 26–10–10 माननीय अष्टम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा कथित बटवारे को संदेहास्पद माना है तथा आवेदक कमांक 13 का व्यवहारवाद निरस्त हुआ है। जिस बटवारे पर सिविल न्यायालय ने भरोसा नहीं किया व अपने अभिमत में विधिसम्मत नहीं माना उस बटवारे को निरस्त करने में अपर आयुक्त ने विधिसंगत कार्यवाही की है। अनावेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि अपर आयुक्त न्यायालय में अपील वर्ष 97–98 में दायर की गई थी जो कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में हुये संशोधन 2011 के पूर्व का प्रकरण है,

अतः अपील प्रकरण के संबंध में किया गया उक्त संशोधन लागू नहीं होगा एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने सम्बन्धी किया गया आदेश वैधानिक रूप से सही है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 13 राजेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा सुरेन्द्र कुमार शुक्ला के विरूद्ध दायर व्यवहार वाद कमांक 115ए/2010 में अष्टम व्यवहार न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 26–10–10 में कथित बटवारे की कार्यवाही को अंतिम नहीं हो सकी ऐसा माना है। अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में ही अपने आदेश में निष्कर्ष निकालते हुये अनावेदक को संहिता के प्रावधानों के अनुसार तामीली नियमों का पालन नहीं होना पाया है। अनावेदक को विधिवत सूचना तामील होना नहीं पाये जाने से अपर आयुक्त ने तहसीलदार को विधिवत अनावेदक को व्यक्तिशः सूचना जारी कर सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया है। जहां तक म0प्र0 भू–राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 49 के प्रावधान लागू होने का प्रश्न है, अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3–12–97 के विरूद्ध द्वितीय अपील 21–1–1998 को अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो कि अधिनियम की धारा 49 में संशोधन के पूर्व की है इसलिए अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोषों पर विचार कर अपील स्वीकार कर स्पीकिंग आदेश पारित करते हुये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किये गये हैं, एवं प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जो उचित है। इससे प्रकरण में स्वतः ही पूर्व की स्थिति कायम हो गयी है। चूंकि संहिता की धारा 178 के तहत बटवारा करने की अधिकारिता अपीलीय न्यायालय को न होकर तहसील न्यायालय को होती है

इसलिए प्रकरण तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 178 के प्रावधानुसार कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश को अधिकार विहीन अथवा अनियमित नहीं ठहराया जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 16–12–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर